दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

बकाया वाहनों का कर 23 मार्च तक जमा करने के निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला परिवहन अधिकारी सुमित अग्रवाल ने समस्त मालयान एवं यात्रीयान के स्वामियों को निर्देशित किया है कि बकाया वाहनों का कर 23 मार्च 2020 तक जमा करते हुए जिला परिवहन कार्यालय रायगढ़ में प्रमाण-प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा वाहनों का कर बकाया होने पर संबंधित के विरूद्ध वाहन जप्ती कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

कक्षा 10 वीं के द्वितीय भाषा व तृतीय भाषा सामान्य हिन्दी विषय की परीक्षा में 631 परीक्षार्थी हुए सम्मिलित

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा 2020 अंतर्गत रायगढ़ जिले में आज कक्षा 10 वीं द्वितीय भाषा व तृतीय भाषा सामान्य हिन्दी की परीक्षा आयोजित हुई। जिसमें 639 दर्ज परीक्षार्थियों में 631 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाई। 8 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों के लिए आयोजित वॉक इन इन्टव्यू एवं कौशल परीक्षा स्थगित

न्याय साक्षी/रायगढ़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों के लिए रायगढ़ में 23 से 27 मार्च 2020 तक वॉक इन इन्टव्यू एवं कौशल परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसे आगामी आदेश तक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। वॉक इन इन्टव्यू एवं कौशल परीक्षा की सूचना पृथक से जिले के वेबसाईट www.raigarh.nic.in के माध्यम से तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, रायगढ़ के सूचना पटल पर जारी की जाएगी।

अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा तत्काल प्रभाव से स्थगित

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण का प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य के कई सीमावर्ती राज्य में प्रकाश में आया है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्यों से आने तथा जाने वाली बसों के परिवहन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली समस्त यात्री वाहनों का संचालन भी आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त सह अध्यक्ष राज्य परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ द्वारा सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर इसका पालन कर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

रेशम विभाग में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्रियों के लिए 25 तक निविदा आमंत्रित

रायगढ़ (आरएनएस)। कार्यालय उप संचालक रेशम, उर्दना नाका के पास सर्किट हाउस रोड, रायगढ़ में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्रियों की नीलामी हेतु 25 मार्च 2020 तक निविदा आमंत्रित किया गया है। निविदा उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जाएगी। निविदा फार्म एवं नियम शर्तों की जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर उप संचालक रेशम कार्यालय, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

हाईस्कूल द्वितीय एवं तृतीय भाषा बोर्ड परीक्षा 17 हजार 73 परीक्षार्थी हुए शामिल

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाईस्कूल मुख्य परीक्षा में आज द्वितीय एवं तृतीय भाषा सामान्य हिन्दी विषय की परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा में पंजीकृत 17 हजार 267 परीक्षार्थियों में से 17 हजार 73 शामिल हुए। परीक्षा में 194 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण सम्पन्न हुई। मण्डल के पोर्टल से आज एक भी नकल प्रकरण की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में बैठक चल रही है

रायपुर (आरएनएस)। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, एवं ग्रामीण विकास गौरव द्विवेदी, स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन रीता शांडिल्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद।

शासन के निर्देश पर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में धारा 144 लागू

» राज्य शासन के निर्देश पर उठाये गये विभिन्न एहतियाती कदम

» दैनिक जरूरत की चीजों के दुकान रहेंगे खुले

» अफवाहों से दूर रहने की लोगों से अपील

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम व बचाव के संबंध में राज्य शासन से मिले निर्देशानुसार जिला स्तर पर की जा रही तैयारियों के बारे में बताया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा, सीईओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी एवं सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी मौजूद रहे। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि रायगढ़ जिले के नगर निगम तथा नगरीय निकाय क्षेत्र में 30 कि.मी.की परिधि तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा को बंद कर दिया गया है एवं राज्य के अंतर्गत उन्हीं बसों के परिचालन को अनुमति दी गई है, जो

शासन के निर्देशानुसार बसों को नियमित रूप से डिसइन्फेक्ट करते हुए साफ-सफाई बनाये रखेंगे।

बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों के परिवहन की मनाही है। सिनेमा, शॉपिंग माल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, सुपर मार्केट, चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तुओं के विक्रय हेतु लगने वाले स्थायी ठेले, गुमटियों को आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश है। नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों व छात्रों को उपलब्ध कराये जाने वाले पीजी को भी खाली कराने के निर्देश है। छात्रावास व पीजी संचालकों को नये छात्रों को नहीं रखना है। यदि कोई छात्र किसी कारणवश या पीजी छात्रावास खाली नहीं कर पाता है तो उसे बाहर आना-जाना, घूमना-फिरना कम से कम करना होगा जिससे संक्रमण का खतरा न हो। उन्होंने यह भी बताया कि रैली, धरना, प्रदर्शन, जुलूस को 5 अप्रैल 2020 तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जनदर्शन कार्यक्रम भी स्थगित रहेगा।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस स्थिति से निपटने प्रशासन की पूरी तैयारी है। यह सारे कदम एहतियातन उठाये जा रहे है, जिससे लोगों का विचरण कम से कम हो और संक्रमण का खतरा भी कम किया जा सके। इस कड़ी में रोजमर्रा की जरूरत की सारी दुकाने पूर्ववत चलती रहेंगी। राशन, दवाईयों के लिए काउंटर वाली दुकानें खुली रहेंगी। जहां अधिक भीड़ इकट्ठी हो सकती है ऐसे स्थानों का संचालन बंद किया जा रहा है। इतवारी बाजार को आगामी आदेश तक बंद किया जा रहा है, सब्जियां संजय मार्केट से खरीदी जा सकती है।

जिन भी परिवार में शादियां है उनसे गुजारिश है कि संभव हो तो शादियां आगे बढ़ा दें और संभव न हो तो परिवार के करीबी 10 से 20 लोगों के साथ ही शादी संपन्न करायें। इस संबंध में मैरिज गार्डन व हाल संचालकों को भी निर्देश जारी किया जा रहा है। साथ ही सभी लोगों से यह भी आग्रह है कि यदि कोई व्यक्ति या परिवार 01 जनवरी 2020 के बाद विदेश की यात्रा कर लौटा है तो उसकी जानकारी अनिवार्यतः कलेक्ट्रेट, सीएमएचओ तथा थाने में देवें।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया रिमांड पर

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पुसौर में दिनांक 18.03.2020 को 33 वर्षीय महिला द्वारा ग्राम दर्रीपाली का प्रमोद गुप्ता पिता ग्वाल गुप्ता उम्र 23 वर्ष के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है।

पीड़िता बतायी कि अपने परिवार सहित रहती है। करीब 3-4 माह पहले ग्राम दर्रीपाली के प्रमोद गुप्ता से एक कार्यक्रम में मुलाकात हुआ। जान पहचान के बाद से दोनों फोन से भी दोनों के बीच बात-चीत करते थे। कभी-कभी प्रमोद गुप्ता युवती के घर भी आता था। दिनांक 13.02.2020 को प्रमोद गुप्ता आया और युवती को बोला तुम बहुत अच्छी लगती हो मैं शादी तुमसे करना चाहता हूं। तब युवती शादीसुदा हूं इस तरह कि बात मत किया करो बोली। उसी रात करीब 11 बजे फिर प्रमोद गुप्ता युवती के घर आ गया। युवती का पति भुवनेश्वर गया हुआ था जिसका फायदा उठाकर प्रमोद गुप्ता युवती के साथ बलात संभोग किया। दूसरे दिन फिर प्रमोद गुप्ता युवती के घर आ गया जिसे युवती के भतीजा ने देखा। तब युवती ने परिवारवालों को जानकारी दी और परिवार में सलाह होकर थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी है। रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 46/2020 धारा 376 भादवि दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

रेशम विभाग में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्रियों के लिए 25 मार्च तक निविदा आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कार्यालय उप संचालक रेशम, उर्दना नाका के पास सर्किट हाउस रोड, रायगढ़ में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्रियों की नीलामी हेतु 25 मार्च 2020 तक निविदा आमंत्रित किया गया है। निविदा उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जाएगी।

मर्ग जांच पर मृतिका के पति के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज

» आग से जलकर महिला की मौत हुई थी

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी कनकबीरा, थाना सारंगढ़ अन्तर्गत ग्राम चंदेली में रहने वाली सरस्वती बाग पति अजीत कुमार बाग (बरिहा) उम्र 22 वर्ष को आग से जलने पर ईलाज के लिए रायपुर के डी.के.एस. अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया गया था, दिनांक 19.08.2019 को सरस्वती बाग ईलाज दौरान फौत हो गई।

मर्ग जांच दौरान मृतिका के वारिशानों ने बताया कि मृतिका की शादी दिनांक 12.05.2019 को हुई। दिनांक 13.08.2019 को अजीत बाग उसकी पत्नी सरस्वती के ऊपर मिट्टी तेल छिड़क कर माचिस मारकर आग लगा दिया, जिससे वह जल गई और उसे ईलाज के लिए रायपुर लेकर गये थे, जहां ईलाज दौरान वह फौत हो गई।

थाना सारंगढ़ चौकी कनकबीरा में आरोपी अजीत कुमार बाग के विरूद्ध अप.क्र. 138/2020 धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा दबिश दी गई, आरोपी फरार है।

सूने मकान में चोरी जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। कुशलनगर सारंगढ में रहने वाले शिवम साहनी पिता स्व. राकेश साहनी द्वारा दिनांक 19.03.2020 को थाना सारंगढ़ में अपने घर पर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि दिनांक 10.03.2020 के रात्रि करीब 09:00 बजे पूरा परिवार घर में ताला लगाकर मोहल्ला में रिस्तेदार संतोष साहनी के यहां होली मनाने गये थे। दूसरे दिन दिनांक 11.03.2020 को सुबह 07:00 बजे घर आये तो घर का ताला टूटकर लटका हुआ था। घर अंदर अलमारी का लक टूटा था जिसमें से अज्ञात चोर सोने-चांदी का आभूषण, नगदी रकम 2400 रूपये जुमला रकम 20,400 रूपये को चोरी कर ले गया था। शिवम साहनी अपने स्तर से मोहल्ले में पता तलाश कर रहा था, पता नही चलने पर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 140/2020 धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

सम्राट अशोक क्लब की सराहनीय पहल

» क्लब के सदस्यों ने थाना यातायात एवं चौक चौराहों पर ट्रैफिक जवानों को वितरित किए मास्क

न्याय साक्षी/रायगढ़। देश-विदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरती जा रही है।

स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थाएं आगामी आदेश तक बंद किए गए हैं किंतु महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों में एहतियातन सावधानी बरतते हुए कार्य किया जा रहा है जिनमें पुलिस विभाग का भी शामिल है। पुलिस विभाग का यातायात अमला कितनी भी सावधानियां बरतें परंतु शहर के चौक चौराहों पर खड़े होकर

यातायात व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है ऐसे में किसी भी संक्रमण का सीधा प्रभाव इन पर पड़ सकता है इसे नकारा नहीं जा सकता जिसे देखते हुए सामाजिक संस्था सम्राट अशोक क्लब की ओर से रायगढ़ जिले के ट्रैफिक जवानों को मास्क बांटे गए। क्लब के सदस्य सबसे पहले यातायात थाना पहुंचे और वहां मौजूद यातायात थाने के अधिकारियों और कर्मचारियों को मासिक वितरण किया इसके बाद शहर के विभिन्न चौक चौराहों में जाकर दिन रात प्रदूषण और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे जवानों को कुरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क दिए गए।

प्रदेश सरकार अपने स्तर पर इस संक्रमण से बचाव के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक संस्थाओं का भी इस संक्रमण के खिलाफ किस प्रकार का अभियान सराहनीय है। जिसमें जिला क्लब के पर्यवेक्षक रवीन्द्र सिंह कुशवाहा, मिडिया प्रभारी विशाल कुशवाहा, कंचन वर्मा, उदयप्रताप सिंह, खुशरंजन सिंह, आशुतोष सिंह शामिल रहे।

कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश की जनता के नाम संदेश

» राज्य सरकार पूरी तरह मुस्तैद, जनता से सहयोग की अपेक्षा

» कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को मिलेगा विशेष भत्ता

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में आज प्रदेश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा प्रिय भाइयों और बहनों, जय जोहार, जैसा की आप जानते ही हैं कि पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा हैं। छत्तीसगढ़ में भी आज कोरोना वायरस का एक केस पाजीटिव पाया गया हैं। जिसका समुचित उपचार एम्स रायपुर में चल रहा हैं। पीड़ित के परिवार के सभी सदस्यों और उनके सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनको भी आइसोलेशन में रखा गया हैं। राज्य में कोरोना वायरस से

बचाव और उपचार की सही जानकारी देने के लिए एक इमरजेंसी कम्यूनिकेशन टीम गठित

उपचार की माकूल व्यवस्था हैं और इससे डरने या चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं हैं, लेकिन अब हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा और लापरवाही से बचना होगा।

एम्स में योग्य चिकित्सक, पीड़ित का उपचार कर रहे हैं। देश में अभी तक अनेक कोरोना पीड़ित स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में विदेश यात्रा करके लौटे सभी नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आइसोलेशन में रखने की प्रक्रिया जारी हैं। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूँ कि आपकी जानकारी में अगर ऐसा कोई व्यक्ति हैं जो विदेश यात्रा से लौटा हैं और उसने स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट नहीं किया हैं तो इसकी सूचना तत्काल टोल फ्री नम्बर 104 पर दे। लोगों को यह समझना होगा कि जानकारी छुपाने से कोरोना वायरस से बचाव नहीं हो सकेगा अपितु जानकारी देने और सही उपचार लेने से ही बचाव संभव हैं। बच्चों और बुजुर्गो को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता हैं।

मेरा राज्य के नागरिकों से आग्रह है कि बहुत आवश्यक होने पर ही अपने घर से बाहर निकले। लोगों की सावधानी और सुरक्षा के लिए मैंने स्वयं अपने सभी कार्यक्रम और समारोह रद्द् कर दिये हैं। राज्य में स्कूल, कालेज, सिनेमा हॉल, मॉल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के इक्ट्ठा होने पर रोक लगा दी हैं। मैं बार-बार आपको यह आश्वासन देता हूँ कि आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

आठ महिला स्व-सहायता समूहों की 104 महिलाओं को मिला हुआ है रोजगार

» आठ महिला स्व-सहायता समूहों की 104 महिलाओं को मिला हुआ है रोजगारहर्बल साबुन तैयार कर महिलाएं हो रही हैं आत्मनिर्भर

रायपुर। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित सामग्रियों के विक्रय हेतु बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु महिला स्व-सहायता समूहों को खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत कर इनके उत्पादों जैसे गोबर के गमले, आचार, पापड़, सुगंधित चावल, अगरबत्ती, फाईल, बांस की सामग्री, बड़ी, लाई बड़ी, आयुर्वेदिक दवाईयां, फिनायल, मसाला आदि की खादी मार्का प्रदान किया जा रहा है ताकि इन उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया जा सके।

रायपुर शहर के निकट स्थित सेरीखेड़ी ग्राम में कुल 8 महिला स्व-सहायता समूह-दुर्गा स्व-सहायता समूह, गंगा स्व-सहायता समूह, जय मां शीतला स्व-सहायता समूह, श्रीयश स्व-सहायता समूह, एकता स्व-सहायता समूह, उजाला स्व-सहायता समूह, आरती स्व-सहायता समूह, उन्नति स्व-सहायता समूह, देवीशक्ति स्व-सहायता समूह के माध्यम से लगभग 104 महिलाओं द्वारा

केमिकलरहित विभिन्न प्रकार के हर्बल साबुन तैयार किया जा रहा है। हर्बल साबुन में गुलाब, नीम, लेमन, चारकोल, मुल्तानी, शहद, एलोवेरा, मिक्स फ्रूट और तुलसी का उपयोग किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ महिलाओं का सशक्तिकरण करना भी है। साथ ही लोगों को केमिकल युक्त उत्पादों के उपयोग के स्थान पर हर्बल उत्पादों के प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना भी है।

1 जनवरी के बाद विदेश से आये व्यक्ति अनिवार्यतः चिकित्सकीय परीक्षण करायें

न्याय साक्षी/रायगढ़। भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण व बचाव के लिए प्रदेश में चिन्हांकित देशों से 1 जनवरी 2020 से विदेश गये एवं आये व्यक्तियों की पहचान कर उनके एवं उनके परिवारों का परीक्षण चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कराना सुनिश्चित करें। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए स्थानीय व्यक्ति एवं अशासकीय संस्था भी सहयोग करें। ऐसे व्यक्ति जो विदेश से आये है वे स्वयं आकर अपनी जानकारी एवं चिकित्सा परीक्षण करायें।

न्यायालय के कर्मचारी से लूटपाट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

» आरोपियों से लूट की हुई मोबाइल, नगद रुपए एवं केटीएम मोटरसाइकिल जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्यरत आदेशिका वाहक से मोबाइल व नगदी लूटपाट के मामले में चक्रधर नगर पुलिस द्वारा आज मुखबीर सूचना पर दो युवकों को मरीन ड्राइव के पास से गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 09.03.2020 को थाना चक्रधरनगर में बोईरदादर बिनोबानगर में रहने वाला कार्तिक राम राठिया पिता दसरू राम राठिया उम्र 38 साल जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ में आदेशिका वाहक के पद पर कार्यरत है। दिनांक 06.03.2020 को कार्तिक अपने साथी हरिशंकर सिदार के साथ रात करीब 07:30 बजे सब्जी मार्केट से सब्जी लेकर अपने साथी हरिशंकर सिदार को उसके घर छोड़ने मधुबन मालीपारा छोड़ने बेलादुला बीएसएनएल ऑफिस रोड से मोटर सायकल से जा रहा था कि रात करीब 08:00 बजे बेलादुला बीएसएनएल ऑफिस रोड में कब्रिस्तान के पास दो व्यक्ति इन्हें धक्का दिये जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और कार्तिक ने मोटरसाइकिल को रोका तो लड़कों ने कार्तिक के जेब में रखे पर्स एवं शासकीय मोबाइल सेट को लूटकर भाग गये पर्स में 1030रू. था। लूट की रिपोर्ट पर दिनांक 09.03.2020 को अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 73/2020 धारा 392, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पीड़ित कार्तिक राम राठिया एवं उसके साथी हरी शंकर से चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपियों की हुलिया एवं उनके बाइक की जानकारी लेकर अपने मुखबिरों को बताया गया एवं निगाह रखने निर्देशित किया गया। आरोपियों के हुलिए एवं उनके बाइक के आधार पर आज दिनांक 19.03.2020 को चक्रधरनगर प्रभारी विवेक पाटले के सक्रिय मुखबीर द्वारा सूचना दिया गया कि उसी प्रकार की बाइक एवं हुलिए के एक व्यक्ति को किलो बिहार, मरीन ड्राइव के पास देखा गया है। इस सूचना पर चक्रधरनगर पुलिस केलो विहार मरीन ड्राइव के पास पहुंची जहां मनीष सोनवलकर पिता मनोज सोनवलकर उम्र 23 साल निवासी कयाघाट चौकी जूटमिल मिला जिससे लूट के संबंध में पूछताछ करने पर अपने साथी विनोद चौहान पिता तनु चौहान उम्र 27 वर्ष निवासी उपभोक्ता फोरम के पीछे केलो बिहार चक्रधरनगर के साथ घटना कारित करना बताया।आरोपियों के मेमोरेंडम पर लूटपाट की हुई कार्तिक राम राठिया का शासकीय मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी J6 कीमत लगभग रू. 8000 एवं लुट की रकम रू.1000 तथा घटना में प्रयुक्त केटीएम 200 (कीमत 2 लाख रुपए की) मोटरसाइकिल को जप्त किया गया है। आरोपियों द्वारा कार्तिक राम के मोबाइल में लगा सिम को नष्ट कर फेंक दिया गया था। आरोपियों को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया जहां से उन्हें जेल वारंट पर जेल दाखिल कराया गया है।उक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी चक्रधरनगर में विवेक पाटले, उपनिरीक्षक खांडेकर, प्रधान आरक्षक लोमेश सिंह राजपूत, आरक्षक सुशील यादव एवं दिनेश गोंड़ की विशेष भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO N- CHH-